न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बांसवाड़ा जिला बांसवाड़ा

प्रकरण संख्या– 14/2023 दायर दिनांकः–21.02.2023

उनवान

स्व. हुमला पुत्र रूपा भील निवासी पीपलोद जिला बांसवाड़ा के वारिसान
1/1. दीपा पुत्र स्व. हुमला जाति भील उम्र वयस्क
1/2. बहादुर पुत्र स्व. हुमला जाति भील उम्र वयस्क
1/3. श्रीमती जीवा पत्नी हुमला जाति भील उम्र वयस्क
समस्त निवासीयान पीपलोद तह0 बांसवाड़ा। **(वादीगण)**

बनाम

1. स्व.चुन्नीलाल पुत्र प्रभुलाल चौबिसा
2. स्व. भवानीशंकर पुत्र प्रभुलाल चौबिसा
3. स्व. विश्वनाथ पुत्र हैतलाल
4. स्व. गंगाशरण पुत्र हिम्मतराम जी
5. स्व. गौरीशंकर पुत्र आन्नदराम जी
6. स्व. रेवाशंकर पुत्र आन्नदराम जी

समस्त जाति ब्राहाम्ण के वारिस
1–6/1. अमित व्यास पिता चन्द्रशेखर व्यास जाति ब्राहाम्ण निवासी औदिच्यवाड़ा तह0 व जिला बांसवाड़ा (राज.)
7. तहसीलदार बांसवाड़ा **(प्रतिवादीगण)**

उपस्थिति

1. श्री यशपाल गुप्ता — **अधिवक्ता वादीगण**
2. श्री राजकुमार जैन — **अधिवक्ता प्रतिवादी**

वाद अंतर्गत धारा– 88, आर.टी एक्ट प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151, 152 सी.पी.सी.

दिनांकः–28.03.2023

–::आदेश::–

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का विवरण इस प्रकार है। कि प्रकरण संख्या 88/2004 निर्णय दिनांक 16.01.2023 में संशोधित उनवान के साथ निर्णय व डिक्री पारित करने के आदेश प्रदान करें। साथ में आदेश 22 नियम 3 सी.पी.सी. व प्रार्थना पत्र धारा 5 लिमिटेशन एक्ट व शपथ पत्र व संशोधित शीर्षक पेश किया है। माननीय न्यायालय ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर क्रियात्मक आदेश दिया जाकर वादी स.1 स्व.दीपा पुत्र स्व. हुमला की मृत्यु हो जाने से उसके वारिसान भुरी बेवा हुमला स्व. दीपा जाति दीपा भील निवासी पीपलोद जिला बांसवाड़ा को दिपा की जगह वादी स. 1/1 की जगह डिग्री घोषित की जावें तथा वादीगण की ओर से एक प्रार्थ[illegible] आदेश 22 नियम 03 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी [illegible] भील निवासी पीपलोद की मृत्यु हो चुकि है एवं उसके कायम मुकाम [illegible]रिसान पूर्व से रिकार्ड [illegible] है। इसलिए जीवा का नाम डिलीट कर[illegible] हेतु निवेदन है दि[illegible]5.02.2023 को क्रियात्मक आदेश पारित किया गया उसमें वादी स. 1/3 जीवा पत्नी हुमला निवासी पिपलोद का नाम डिलीट करने के आदेश पारित करना टंकण की त्रुटि से रह गया है।

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाडा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2024.05.22 11:06:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

उपरोक्त प्रार्थना पत्र धारा 151, 152 सी.पी.सी. स्वीकार कर प्रार्थी द्वारा प्रार्थना दिनांक 21.02.2023 रेकार्ड पर लेकर वाद–पत्र के उनवान में संशोधन के आदेश प्रदान कर निर्णय व डिक्री पारित करें।

हमने प्रार्थना पत्र मुल पत्रावली का अवलोकन किया । उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया । न्यायहित में प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादी 1/3 जीवा पत्नी स्व. हुमला की मृत्यु हो जाने से उसके विधिक वारिसान पूर्व से कायम मुकाम रिकार्ड पर है। वादी स. 1/3 जीवा पत्नी स्व. हुमला जाति भील निवासी पीपलोद का नाम डिलीट किया जाता है।

उक्त निर्णय को डिक्री का भाग समझा जावें।

पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा (राजस्थान)

28/3/23

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2024.05.22 11:06:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner